METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

#AMETHIPOLICE

#OPERATIONCONVICTION

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 21,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

एडीजीसी श्री विवेक कुमार सिंह

पैरोकार हे0का0 मित्रसेन वर्मा

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा के दिनांक 18.10.2019 समय 12:16 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्तगण द्वारा रास्ते से मुह पकडकर सरिया में गलत नियत से उठा ले जाना व धमकी देने की तहरीर पर मु0अ0सं0 148/19 धारा 376/511/354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मुंशीगंज पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे-12 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तगण को *05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 21,000 रुपये के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त संदीप पाण्डेय को *05 वर्ष का कठोर कारावास, 20,000 रुपये अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड ना अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास।*
- *अभियुक्त कुलदीप पाण्डेय को 01 वर्ष का कठोर कारावास, 1,000 रुपये अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड ना अदा करने पर 05 दिन के अतिरिक्त कारावास।*

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- **संदीप पाण्डेय पुत्र सूर्यभान पाण्डेय निवासी किटियावा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।**
- **कुलदीप पाण्डेय पुत्र सूर्यभान पाण्डेय निवासी किटियावा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।**